न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 31 / 2017 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री कैलाश चन्द नाटानी पुत्र श्री बुद्धालाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्सः— चिरंजीलाल, बुद्धालाल, निमला बाजार बसवा जिला दौसा, निवासी निमला बाजार बसवा।
2. श्री रमेश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री मगनलाल जैन गर्ल्स स्कूल रोड बांदीकुई जिला दौसा भागीदार मैसर्सः—रमेश चन्द दिनेश कुमार जैन माधोगंज मण्डी बांदीकुई जिला दौसा।
3. श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मगनलाल जैन गर्ल्स स्कूल रोड बांदीकुई जिला दौसा भागीदार मैसर्सः—रमेश चन्द दिनेश कुमार जैन माधोगंज मण्डी बांदीकुई जिला दौसा।
4. श्रीमति मनभरी देवी पत्नि स्व. श्री मगनलाल जैन गर्ल्स स्कूल रोड बांदीकुई जिला दौसा भागीदार मैसर्सः—रमेश चन्द दिनेश कुमार जैन माधोगंज मण्डी बांदीकुई जिला दौसा (फौत)
5. श्री जुगल किशोर गुप्ता मैसर्सः—कामधेनू डेयरी रूपबास रोड, प्रेम कुंज कोठी के पास अलवर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री चरण सिंह डोई अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1, 2 3 व 5 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 14.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्यरत थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये थे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.03.2016 को दोपहर 02:45 बजे मैसर्सः— चिरंजीलाल बुद्धालाल, निमला बाजार बसवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री कैलाश चन्द नाटानी पुत्र श्री बुद्धालाल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में लकडी की रैक में 180 ग्राम X 40 पैकिट घी(कामधेनु) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे। जिसमे से 180 ग्राम X 4 पैकिट घी(कामधेनु) नमूने की जांच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 280 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाकर खरीदशुदा पैक घी(कामधेनु) को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर पैकिटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी. —1357 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 22.3.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषकर राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 22.3.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद पॉलीपैक व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 28.03.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /858/एक्ट/2016/1693 दिनांक 2.5.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी(कामधेनु) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। नमूना मिसब्राण्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री चरण सिंह डोई उपस्थित आये एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा मृत्यू प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 श्रीमति मनभरी देवी पत्नि स्व. श्री मगन लाल जैन फौत हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./858/एक्ट/2016/1693 दिनांक 2.5.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी(कामधेनु) के नमूने के लेबल पर जानकारी नियमानुसार अंकित नहीं होने के कारण उक्त नमूना पैकेजिंग एवं लेबलिंग अधिनियम 2011 के विनियम 2.2.2(8) 2.2.2(9) का उल्लंघन होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ घी(कामधेनु) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 52 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि एफ.एस.एस.(पैकेजिंग एवं लेबलिंग रेगूलेशन 2011 के तहत खाद्य वस्तु के पैकेज पर जो घोषणाये देना जरूरी होता है, वे सभी घोषणाये पैकेज पर दी हुई थी। नमूने में ली गई वस्तु प्री पैकेज के रूप में गत्ते के आउटर कवर में सील्ड थी। जिस पर नियमानुसार सभी घोषणाये लिखी हुई थी। इस कारण उक्त रेगुलेशन के उल्लंघन का कोई मामला हमारे विरूद्ध नहीं बनता है। खाद्य विश्लेषक द्वारा पूर्ण जांच करने के तीन

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

दिन पश्चात् जांच दिनांक 29.4.2016 को पूर्ण की गई थी तथा रिपोर्ट दिनांक 2.5.2016 को जारी की है। देरी से जांच रिपोर्ट जारी किये जाने के कारण जांच के सम्बन्ध में गम्भीर सन्देह उत्पन्न होते है और जांच रिपोर्ट की एवीडेन्ट्री वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसी रिपोर्ट पर परिवाद चलने योग्य नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 858 / एक्ट / 2016 / 1693 दिनांक 2.5.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी(कामधेनु) के लेबल पर जानकारी नियमानुसार अंकित नहीं होने के कारण उक्त नमूना पैकेजिंग एवं लेबलिंग अधिनियम 2011 के विनियम 2.2.2(8) 2.2.2(9) का उल्लंघन होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। जो कि एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ घी(कामधेनु) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री कैलाश चन्द नाटानी पुत्र श्री बुद्धालाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्सः— चिरंजी लाल बुद्धालाल, निमला बाजार बसवा जिला दौसा, अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री रमेश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री मगन लाल जैन गर्ल्स स्कूल रोड, बांदीकुई जिला दौसा भागीदार मैसर्स रमेश चन्द दिनेश कुमार जैन माधोगंज मंडी बांदीकुई जिला दौसा, अप्रार्थी अभियुक्त सं. 3 श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री मगन लाल जैन गर्ल्स स्कूल रोड, बांदीकुई जिला दौसा भागीदार मैसर्स रमेश चन्द दिनेश कुमार जैन माधोगंज मंडी बांदीकुई जिला दौसा एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 5 श्री जुगल किशोर गुप्ता मैसर्सः—कामधेनू डेयरी, रूपबास रोड, प्रेमकुन्ज कोठी के पास अलवर पर 10000 / — (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 14.06.2023 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक / FSSA/ दिनांकः— .06.2023

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री कैलाश चन्द नाटानी पुत्र श्री बुद्धालाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्सः— चिरंजीलाल, बुद्धालाल, निमला बाजार बसवा जिला दौसा, निवासी निमला बाजार बसवा।
4. श्री रमेश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री मगनलाल जैन गर्ल्स स्कूल रोड बांदीकुई जिला दौसा भागीदार मैसर्सः—रमेश चन्द दिनेश कुमार जैन माधोगंज मण्डी बांदीकुई जिला दौसा।
5. श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मगनलाल जैन गर्ल्स स्कूल रोड बांदीकुई जिला दौसा भागीदार मैसर्सः—रमेश चन्द दिनेश कुमार जैन माधोगंज मण्डी बांदीकुई जिला दौसा।
6. श्री जुगल किशोर गुप्ता मैसर्सः—कामधेनू डेयरी रूपबास रोड, प्रेम कुंज कोठी के पास अलवर।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा